रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 मई, 1990/31 वैशाख, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002 22 अगस्त 1989

संख्या लोक निर्माण (ख) 25-27/81.—वायु (प्रदूषण तथा निर्यंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का चौदहवां अधिनियम), की धारा 54 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, जैसा कि हिमाचल प्रदेश सिवाये किन्नौर,

लाहौल एवं स्पिति और चम्बा जिला के भरमौर खण्ड में लागू है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राज्यबोर्ड के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश वायु (प्रदूषण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 कि परिशिष्ट "क" पर है को सहर्ष बनाते हैं।

आदेश द्वारा,

ऐ0 के0 महोपात्रा,
आयुक्त एवं सचिव (सिंचाई)।

परिशिष्ट "क"

हिमाचल प्रदेश वायु प्रदूषण (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) नियम, 1983

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से, वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 अभिप्रेत है;
(ख) "अपीलार्थी" से अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश से व्यक्ति और उसके विरुद्ध अपील करने वाला,कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ग) "अपील प्राधिकारी" से, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन गठित प्राधिकारी से अभिप्रेत है;
(घ) "बोर्ड" से, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए गठित राज्य बोर्ड अभिप्रेत है;
(ङ) "अध्यक्ष" से, राज्य बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(च) "राज्य बोर्ड" से, जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन गठित राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण राज्य बोर्ड अभिप्रेत है;
(छ) "परामर्शी" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जिसकी सेवाऐं; तकनीकी या अन्य परामर्शी अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के कामकाज के संचालन के लिए प्राप्त की जाएं;
(ज) "प्ररुप" से, अनुसूची–1 में दिया गया प्ररुप अभिप्रेत है;
(झ) "भटटी" से, ऐसी संरचना या संस्थान जहां किसी प्रकार या रूप का ईंधन जलाया जाता हो या अन्यथा उच्च तापमान रखा जाता हो, अभिप्रेत है;
(ञ) "सदस्य सचिव" से, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर" से औद्योगिक या व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भवन संरचना या सम्पत्ति, जहां प्रदूषण होता हो, अभिप्रेत है;
(ठ) "राज्य वायु प्रयोगशाला" से, धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित या इस रुप में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला अभिप्रेत है;
(ड) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
(ढ) "धारा" से, अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ण) "राज्य बोर्ड प्रयोगशाला" से, धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन स्थापित या इस रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(त) "वर्ष से" प्रथम अप्रल स प्रारम्भ होने वाला वित्त वर्ष अभिप्रेत है ; और

(थ) इन नियमों में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

अध्याय–2

धारा 7 की उप-धारा (7) के अधीन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें

3. अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.—(1) बोर्ड का अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा । अध्यक्ष की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगीं जैसी कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाने की अनुपस्थिति में, ऐसे निबन्धन और शर्तें, जहां तक हो सकें, ऐसी होंगी जैसी कि हिमाचल प्रदेश सरकार तत्समान परिस्थिति के श्रेणी I के अधिकारी को लागू हों ।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, और जहां सरकारी कर्मचारी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) राज्य बोर्ड के सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें.—(1) हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को निम्नलिखित रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और वाहन भत्ता सन्दत्त किया जाएगा :—

(2) यात्रा भत्ता.—I. रेल द्वारा यात्रा—

(क) लोक सभा और विधान सभा सदस्य.—गैर सरकारी सदस्य, जो लोक सभा और विधान सभा के सदस्य हैं, बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्रा के लिए उसी दर से यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के अधिकारी होंग जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के (सदस्यों भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 के अधीन अनुज्ञेय है ।

(ख) लोक सभा और विधान सभा सदस्यों से अन्य सदस्य.—उनको प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य माना जाएगा, और वे उस वर्ग के स्थान के वास्तविक रेल किराए के अधिकारी होंगें जिनका उपयोग वास्तविक रूप से उन्होंने किया हो किन्तु उस किराए से अधिक नहीं जिसके लिए प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी सामान्यत: अधिकारी हैं । अर्थात उच्चतम वर्ग का स्थान चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसकी रेलवे में व्यवस्था की गई हो और जिसमें यात्रा पूरी की गई हो ।

(II) सड़क द्वारा यात्रा :

वे वास्तविक किराए या लोक बस में एक स्थान लेकर यात्रा करने, और यदि यात्रा मोटर साईकिल/स्कूटर द्वारा की जाती है तो पहाड़ी और मदानी क्षत्र के लिए क्रमश: 0.53 और 0.40 पसे प्रति किलोमीटर की दर से मील भत्ते के अधिकारी होंगे और यदि यात्रा पूरी टैक्सी लेकर/अपनी कार द्वारा पूरी की जाती है तो सदस्य पहाड़ी और मैदानी

क्षेत्र के लिए क्रमशः 1.65 और 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, मील भत्ते के अधिकारी होंगे।

(III) उपरोक्त मद संख्या :

उपर्युक्त मद (I) और (II) के अनुसार वास्तविक किराए और मील भत्ते के अतिरिक्त, सदस्य को, गन्तव्य स्थान से आरम्भ होने वाली अपने स्थायी निवास से समस्त अनुपस्थिति के लिए उसी दर पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को लागू है, दैनिक भत्ता मिलेगा।

(3) दैनिक भत्ता

(*i*) गैर सरकारी सदस्य, बैठक के प्रत्येक दिन के लिए, सम्बन्धित परिक्षेत्र के लिए प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय उच्चतम दर पर दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(*ii*) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अतिरिक्त सदस्य, राज्य बोर्ड के कार्यों के सम्बन्ध में बाह्य स्टेशन पर दौरे पर विराम के लिए निम्नलिखित दर पर दैनिक भत्ते का अधिकारी होगा :—

(क) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक नहीं है	(कुछ नहीं)
(ख) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक है परन्तु 12 घण्टे से अधिक नहीं है	(70 प्रतिशत)
(ग) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घन्टे से अधिक है	(पूर्ण)

(4) वाहन भत्ता :

जिस स्थान पर बैठक हो और वहां का निवासी सदस्य, उपर्युक्त उपदर्शित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते का अधिकारी नहीं होगा किन्तु उसे प्रतिदिन 10 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए किराए पर लिए गए वाहन का वास्तविक खर्च अनुज्ञात होगा। दावे की वास्तविक रूप से सन्दत्त करने से पूर्व नियंत्रण अधिकारी दावे का सत्यापन करेगा और ऐसे विवरण प्राप्त करने के पश्चात् जसे कि आवश्यक समझे जाएं, अपना समाधान करेगा कि वास्तविक व्यय दावे की राशि से कम नहीं था।

यदि ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे 10 रुपये प्रतिदिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञय दरों पर मील भत्ता मजूर किया जाएगा।

सदस्य को, यात्रा और दैनिक भत्ता उस द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र पेश करने पर अनुज्ञेय होगा कि उसने उसी यात्रा और विराम के लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता अन्य सरकारी स्रोत से प्राप्त नहीं किया है।

सदस्य राज्य बोर्ड की बैठकों के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से की गई यात्रा के लिए, स्थायी निवास से और तक, पूर्व नामित स्थान से यात्रा भत्ते के पात्र होंगे। यदि कोई सदस्य राज्य बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने स्थायी निवास से अन्यथा से यात्रा पूरी करता है या बैठक के पर्यवसान पर अपने स्थायी निवास से अन्य स्थान को वापस जाता है तो यात्रा भत्ते की गणना यात्रा की वास्तविकता दूरी के रूप में या स्थायी निवास स्थान और बैठक के स्थान के बीच की दूरी के आधार पर जो भी कम हो, की जाएगी।

(1) जब विधान सभा या विधान सभा समिति, जिसमें सदस्य सेवारत हैं, सत्र में होगी तो सदस्य अपने कर्तव्य भार के सम्बन्ध में दैनिक भत्ते के अधिकारी नहीं होंगे क्योंकि वे अपना दैनिक भत्ता हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों को भत्ता और पैन्शन) अधिनियम, 1971 के अधीन विधान सभा से प्राप्त करेंगे। फिर भी, यदि वे सत्यापित करें कि उन्हें विधान सभा या विधान सभा समिति के सत्र में उपस्थित होने से निवारित किया गया था और उन्होंने विधान सभा से कोई दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं किया है, तो वे यथा विहित दर पर दैनिक भत्ते के अधिकारी होंगे।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते के कारण अतिसंदाय की दशा में, हिमाचल प्रदेश कोष नियम, 4.17 और 6.1 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्त्तनों सहित लागू होंगे।

(3) सदस्य, वाहन भत्ते सहित यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं करेंगे जो उन्हें विधान सभा से निरर्हित करेगा।

अध्याय 3

बोर्ड और इसकी समितियों के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया

5. धारा (ii) (1) की उप-धारा (2) के अधीन बैठकों का नोटिस.—राज्य बोर्ड की बैठक ऐसी तारीखों को होगी जैसी की अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के लिखित आवेदन या राज्य सरकार के निदेश पर, बोर्ड की विशेष बैठक बुलाएगा।

(3) सदस्य सचिव/अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों या अन्य किसी अधिकारी को साधारण बैठक के लिए पन्द्रह दिनों का और विशेष बैठक के लिए तीन दिनों का, ऐसी बैठक का समय और स्थान जहां बैठक होनी है और जिस कारबार का इसमें संव्यवहार किया जाना है, विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस देना होगा।

(4) सदस्यों को बैठक का नोटिस, उनके अन्तिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान पर सन्देश वाहक द्वारा परिदत्त करके या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज कर या मामले की परिस्थितियों में किसी अन्य रीति से जैसी कि अध्यक्ष उचित समझ दिया जा सकेगा।

(5) कोई भी सदस्य, जब तक कि अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार पर उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न दे सकेगा किसी ऐसे मामले को बैठक के विचार के लिए अग्रेसित करने का अधिकारी नहीं होगा जिसके बारे में उसने सदस्य सचिव को दस पूर्ण दिनों का नोटिस नहीं दिया हो।

(6) राज्य बोर्ड अपनी प्रतिदिन या किसी विशेष दिन को बैठक को स्थगित कर सकता है और स्थगित बैठक के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि नोटिस से सम्बन्धी इस नियम के उपबन्धों का सर्वथा पालन नहीं किया गया है।

6 पीठासीन अधिकारी.— प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

7. सभी प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत द्वारा.—(1) बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जाएगा और मतदान प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाकर किया जाएगा।

(2) मत बराबर होने के मामले में, पीठासीन अधिकारी का निर्णायक मत होगा।

8. गणपूर्ति.—(1) किसी भी बैठक की गणपूर्ति के लिए पांच सदस्य होंगे।

(2) यदि किसी बैठक के लिए नियत समय में या बैठक के दौरान गणपूर्ति न हो तो पीठासीन अधिकारी बैठक को स्थगित कर देगा और ऐसे स्थगन से पन्द्रह मिनट के समाप्त होने पर गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी अगले ऐसे समय या आगामी अन्य ऐसी तारीख के लिए स्थगित करेगा जैसी कि वह नियत करे।

(3) स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) एस विषय पर जो मूल बठक की कार्यसूची मन हो, स्थगित बैठक में विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।

(5) स्थगित बैठक के लिये नए नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

9. कार्यवृत्त.—(1) बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों और बैठक की कार्यवाही का अभिलेख, सदस्य सचिव द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी जानी वाली पुस्तिक में रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के आरम्भ में पूर्वगत बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी बैठक में इसकी पुष्टि की जाएगी और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) कार्यवाही कार्यालय के समय किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

10. बैठक में व्यवस्था बनाये रखना.—पीठासीन अधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाये रखेगा।

11. बैठक में संव्यवहारित किया जाने वाला कारबार.—पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, किसी भी बैठक में कोई भी ऐसा कारबार जिसकी प्रविष्टी कार्यवृत्त में नहीं की गई है या जिसके बारे में सदस्य द्वारा नियम के उप-नियम (5) के अधीन नोटिस नहीं दिया गया है, संव्यवहारित नहीं किया जाएगा।

12. कारबार का क्रम.—(1) किसी भी बैठक में, कारबार का संव्यवहार उसी ही क्रम में किया जायेगा जिसमें कि कार्य सूची में इसकी प्रविष्टी की गई है।

(2) या तो बैठक के आरम्भ में या बैठक के दौरान प्रस्ताव पर विचार-विमर्श की समाप्ति के पश्चात्, पीठासीन अधिकारी या सदस्य कार्यवृत्त में यथा प्रविष्टी किए गए क्रम में परिवर्त्तन का सुझाव दे सकेगा और यदि सदस्य सहमत हों तो ऐसा परिवर्त्तन कर दिया जाएगा।

13. राज्य बोर्ड द्वारा धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन गठित समितियों का कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया.—(1) राज्य बोर्ड द्वारा धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गठित समितियों की बैठक का समय और स्थान ऐसा होगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रहते हुए धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी भी समिति की बैठक के कारबार के संव्यवहार के लिए नियम और प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

अध्याय—4

14. गैर-सदस्यों को दी जाने वाली फीस और भत्ता.—राज्य बोर्ड की समिति के ऐसे सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीस और भत्ते जो धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।

(1) धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति का कोई सदस्य जो कि बोर्ड का सदस्य नहीं है उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो कि राज्य बोर्ड के सदस्यों को राज्य बोर्ड की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए, जिससे कि वे संबंधित हैं, अनुज्ञेय हैं।

(2) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक है या सरकारी उपक्रम में कर्मचारी है तो वह केवल उन्हीं दरों पर, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का अधिकारी होगा जो कि उसे लागू सुसंगत नियमों में उपबंधित है।

अध्याय—5

राज्य बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन

15. धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन, राज्य बोर्ड के साथ व्यक्तियों के सहयोजन की रीति और प्रयोजन.—

(1) बोर्ड या अध्यक्ष, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, इसकी किसी भी बैठक के विचार-विमर्श में भाग लेने लिए आमंत्रित कर सकेगा जिसका सहयोजन या सलाह इसके किन्हीं कृत्यों के निर्वहन में प्राप्त करना उपयोगी समझा जाए।

16. धारा 12 की उप-धारा (3) के अधीन ऐसे अस्थायी सहयोजन के लिए व्यक्तियों को संदत्त की जाने वाली फीस और भत्ते.--(1) यदि धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड से सहयोजित व्यक्ति, गैर सरकारी हो तो वह राज्य बोर्ड के सदस्य के लिए अनुज्ञेय दरों पर, राज्य बोर्ड की वस्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि वह सहयोजित है। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक है या सरकारी उपक्रम में कर्मचारी है तो वह केवल उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का अधिकारी होगा जो कि उसे लागू सुसंगत नियमों में उपबंधित है।

अध्याय–6

राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव की सेवा के निबन्धन और शर्तें

17. धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन सदस्य का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.—(1) राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव की नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के वेतनमान में की जाएगी।

(2) उसे देय भत्तों सहित सदस्य-सचिव की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी और जहां सरकारी सेवक को सदस्य-सचिव नियुक्त किया जाए, तो उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

अध्याय–7

सदस्य-सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य

18. धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्य सचिव की शक्तियां और कर्त्तव्य.—सदस्य सचिव अध्यक्ष के अधीनस्थ होगा और अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्.—

(1) सदस्य-सचिव बोर्ड के सभी गोपनीय कागज-पत्रों का प्रभारी होगा और उनके परिक्षण के लिए दायी होगा।
(2) अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा जब भी निर्देश दिये जायें सदस्य-सचिव ऐसे कागज-पत्रों को पेश करेगा।
(3) सदस्य सचिव बोर्ड के किसी भी सदस्य को, बोर्ड के किसी भी रिकार्ड को परिशीलन के लिए उपलब्ध करवाएगा।
(4) सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड के किसी भी अधिकारी या कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करने और राज्य बोर्ड या उसके अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बन्धित लेखों, वाऊचरों, बिलों, और अन्य रिकार्ड और भण्डार की जांच पड़ताल सहित फाइलों, कागज-पत्रों और दस्तावेजों को किसी भी समय मंगवाने का अधिकारी होगा।

(5) सदस्य-सचिव किसी भी संदाय को रोक सकेगा :

परन्तु संदाय के इस प्रकार रोके जाने से यथाशक्य शीघ्र और किसी भी स्थिति में तीन महीने तक न कि उसके पश्चात, मामला अनुमोदन के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड समक्ष रखा जाएगा।

(6) सदस्य-सचिव, बोर्ड और हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड द्वारा गठित समितियों की बैठकें आयोजित करने के सभी प्रबन्ध करगा।

(7) हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले सभी आदेश या अनुदेश सदस्य-सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन जारी किए जायेंगे।

(8) हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए ऐसे पदों का सृजन कर सकेगा जैसे कि यह आवश्यक समझें और इस प्रकार सृजित पदों में से किसी भी पद को उत्सादित भी कर सकेगा :

परन्तु ऐसे पद के सृजन और उस पर नियुक्ति के लिए, जिसका वेतनमान 2000 रु० प्रतिमास से अधिक हो, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार से पहले मंजूरी प्राप्त करेगा।

(9) सदस्य-सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारी वृन्द की गोपनीय रिपोर्टें लिखेगा और रखेगा और उन्हें अध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षरित करवाएगा। वह गोपनीय रिपोर्टों को समुचित रूप से रखे जाने, और उनकी अभिरक्षा के लिए भी उचित प्रबन्ध करेगा।

(10) सदस्य-सचिव अधिकारियों और कर्मचारी वृन्द की वार्षिक वृद्धि की मंजूरी देगा।

(11) सदस्य-सचिव को सभी प्राक्कलनों की तकनीकी मंजूरी और 20,000 रुपये तक के प्राक्कलनों की प्रशासनिक मंजूरी देने की पूर्ण शक्ति होगी।

(12) सदस्य-सचिव, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा जैसी कि बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं।

(13) सदस्य-सचिव बोर्ड के कार्यों के पालन के लिये अध्यक्ष, के अनुमोदन से प्रदेश के भीतर और बाहर दौरे कर सकेगा।

(14) सदस्य-सचिव, आबंटन या मंजूर प्राक्कलनों के विरुद्ध सभी संदाय प्राधिकृत मंजूर या पारित करेगा।

अध्याय 8

परामर्शियों की नियुक्ति

19. धारा 14 की उप-धारा 5 के अधीन परामर्शियों की नियुक्ति.— राज्य बोर्ड को इसके कृत्यों के पालन में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से, बोर्ड, किसी भी अर्हित व्यक्ति को, बोर्ड के परामर्शी के रूप में 4 मास से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से, समय-समय पर, नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकेगा.

परन्तु यह और भी कि यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय, राज्य बोर्ड के पास यह विश्वास करने के कारण हो कि परामर्शी की सेवाएं 4 मास से अधिक अवधि के लिए अपेक्षित हैं, तो राज्य बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नियुक्ति नहीं करेगा।

20. नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति.— नियम 19 के अधीन परामर्शी के किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति के होते हुए भी, राज्य बोर्ड को, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व, परामर्शी की नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार होगा, यदि बोर्ड की राय में परामर्शी अपने कर्त्तव्यों का उचित रूप से या बोर्ड का समाधानप्रद रूप में निर्वहन नहीं कर रहा हो या लोकहित में ऐसी कार्रवाई करना आवश्यक हो।

परन्तु राज्य बोर्ड द्वारा, प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध उसे कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, परामर्शी की सेवायें इस नियम के अधीन समाप्त नहीं की जायेंगी।

21. परामर्शियों की उपलब्धियां.— राज्य बोर्ड, परामर्शी के कार्य के स्वरूप और अर्हताओं और अनुभव के आधार पर, परामर्शी को उचित उपलब्धियां या फीस संदत्त कर सकेगा :

परन्तु राज्य बोर्ड किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, परामर्शी के रूप में, नियुक्त नहीं करेगा, यदि उसे देय उपलब्धियां या फीस 2000/-रु० प्रतिमास से अधिक हो ।

22. परामर्शी द्वारा दौरे.— परामर्शी, बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के पालन के लिए, राज्य के भीतर दौरे कर सकेगा, और ऐसे दौरे के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार के समतुल्य श्रेणी-1 के अधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का अधिकारी होगा । फिर भी, वह अपने दौरे के कार्यक्रम के लिए, अध्यक्ष या सदस्य-सचिव का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

23. परामर्शी द्वारा सूचना का प्रकटन किया जाना.—परामर्शी किसी भी सूचना को, चाहे बोर्ड द्वारा दी गई हो या राज्य बोर्ड द्वारा या अन्यथा उसे सौंपे कर्त्तव्यों के पालन के दौरान प्राप्त की हो, राज्य बोर्ड से अन्यथा किसी भी व्यक्ति को, बोर्ड की लिखित अनुमति के बिना प्रकट नहीं करेगा ।

24. परामर्शी के कर्त्तव्य और कृत्य.—परामर्शी ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसे, कि बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं और बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गए सभी तकनीकी मामलों में सलाह देना उसका कर्त्तव्य होगा ।

अध्याय 9

25. बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्य.—अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा पालन किये जाने वाले कृत्य.—राज्य बोर्ड ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय-10

किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को वायु प्रदुषण नियन्त्रण क्षेत्र या धारा 19 कीज उप-धारा (1) के अधीन क्षेत्र घोषित करने की रीति

26. वायु प्रदुषण क्षेत्र और धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसा क्षेत्र घोषित करने की रीति.— 1. वायु (प्रदुषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) से संलग्न सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों की सीमाओं द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र को, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना लोक निर्माण (ख) -25-27/81 दिनांक 21-10-1981 द्वारा वायु प्रदुषण नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अतिरिक्त राज्य सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर किसी भी क्षेत्र को, उस क्षेत्र की वायु की क्वालिटी के स्तर के आधार पर वायु प्रदुषण नियन्त्रण के लिए कार्यवाई की आवश्यकता के समाधान के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायु प्रदुषण नियन्त्रण क्षेत्र/क्षेत्रों के रूप में घोषित कर सकेगी ।

अध्याय-11

राज्य बोर्ड की सम्मत्ति के लिए आवेदन का प्ररूप, उसके लिए देय फीस, अवधि जिसके भीतर ऐसा आवेदन किया जागगा और वे विशिष्टियां जो इसमें अन्तर्विष्ट होंगी ।

27. धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन सम्मत्ति के लिए आवेदन.—(1) धारा 21 के अधीन वायु मण्डल म उत्सजन के लिए नई या परिवर्तित चिमनी के प्रयोग के लिए या धारा 21 के अधीन चिमनी से वायु मण्डल में विद्यमान उत्सर्जन को जारी रखने के लिए, स्कीम के अनुमोदन की प्राप्ति के एक मास के भीतर प्ररुप 1 में बोर्ड को आवेदन किया जाएगा ।

(2) ऐसे आवेदन पत्रों के साथ बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली फीस संलग्न की जायेगी ।

(3) कोई भी आवेदन पत्र, जिससे निहित फीस जसंलग्न न की गई हो, राज्य बोर्ड द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(4) निहित फीस, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड के सदस्य सचिव के पत्र में संदत्त की जाएगी ।

अध्याय 12

सम्मति के लिए आवेदन पत्र की जांच की प्रक्रिया

28. धारा 21 की उप-धारा (3) क अधीन सम्मति के लिए आवेदन पत्र की जांच करने के लिए प्रक्रिया.—(1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन सम्मति क लिए आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन में दिए गए विवरण का सही होना सत्यापित करने के प्रयोजन से या अन्यथा, या आगे और ऐसा विवरण या ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए जैसी कि अधिकारी आवश्यक समझे आवेदक या अधिष्ठाता के नियंत्रणाधीन किसी स्थान या परिसर, जिससे आवेदन सम्बन्धित है, के निरीक्षण के लिए बोर्ड अपने किसी अधिकारी को, उतने सहायकों सहित जितने कि आवश्यक हों, भेजा सकेगा। उस प्रयोजन के लिए, ऐस अधिकारी, उद्योग के परिसर के भीतर चिमनी से उत्सर्जन या किसी भी स्थान से अस्थायी उत्सर्जन के स्थान या परिषद् और कथित परिसर में स्थापित किसी भी नियन्त्रण यन्त्र का निरीक्षण कर सकेगा । उस प्रयोजन के लिए, ऐसा अधिकारी, आवेदक या अधिष्ठाता के नियन्त्रणाधीन किसी भी स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकेगा, और आवेदक से, उपकरणों या तन्त्र या उसके किसी भाग के नियन्त्रण से सम्बन्धित, रेखांकन, विनिर्देश या अन्य आंकड़े जिसे वह आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) ऐसा अधिकारी, उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजन से आवेदक के किसी भी परिसर में जाने से पूर्व, आवेदक को ऐसा करने के अपने आशय का प्ररुप-ii में नोटिस देगा । आवेदक ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के संचालन के लिए सारी सूचना और सुविधाएं उपलब्ध करायेगा ।

(3) बोर्ड का अधिकारी, ऊपरि उप-नियम (1) के अधीन निरीक्षण के कार्यान्वयन से पूर्व या पश्चात् आवेदक से, उसे मौखिक या लिखित रूप में ऐसी अतिरिक्त सूचना देने या उसके समक्ष ऐसे दस्तावेज पेश करने, जैसे कि वह आवेदन की जांच के प्रयोजन से आवश्यक समझे की अपेक्षा कर सकेगा और उस प्रयोजन आवेदक या उसके प्राधिकृत एजेन्ट को, हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड के कार्यालय में बुला सकेगा ।

अध्याय-13

प्राधिकारी या एजेंसियां जिन्हें धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी

29. अधिष्ठता द्वारा अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन जानकारी देना.—उद्योग प्लांट सयंत्र का भार साधक अधिकारी या उस परिसर या अधिष्ठाता, तुरन्त निम्नलिखित सभी को या किसी एक को, ऐसी घटना के तथ्य की या ऐसी घटना घटित होने जहां प्रसंस्करण या प्रतिष्ठापन के आकस्मिक ठप्प हो जाने के कारण से या अन्यथा, बोर्ड द्वारा अधिककथित मानकों से अधिक उत्सर्जन होता है या होने की आशंका

है वहां कि आशंका की जानकारी देगा :—

1. बोर्ड,
2. जिला कुलैक्टर ।
3. उपमण्डल दण्डाधिकारी ।
4. निकटतम पुलिस प्राधिकारी और पंचायत सहित स्थानीय प्राधिकरण का निकटतम अधिकारी ;
5. जन स्वास्थ्य विभाग ।
6. उद्योग विभाग ।

अध्याय 14

धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन वायु या उत्सर्जन के नमूने

30. धारा 26 की उप धारा (1) के अधीन नमूने लेने की शक्ति.

(1) बोर्ड या इस द्वारा इस निमितसशक्त किसी अधिकारी को, धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन किसी चिमनी, धूमनाल या वाहिनी, संयत्र या पात्र या किन्हीं अन्य स्रोतों और निकासों, स्थायी या चल से विश्लेषण के प्रयोजन के लिए वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने की शक्ति होगी । परिसर का अधिष्ठाती, किसी चिमनी, के धूमनाल या वाहिनी, संयत्र या पात्र या किन्हीं अन्य स्त्रोतों और निकासों, स्थायी और चल से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड या इस द्वारा इस निमित सशक्त किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा । परिसर का अधिष्ठाता, नमूने के स्थानों तक, जैसे कि हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड या इस निमित इस द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पहुंच के लिए सभी सुविधाऐं उपलब्ध करायेगा ।

(2) किसी चिमनी, धूमनाल या वाहिनी, संयंत्र या पात्र किन्ही अन्य स्रोतों और निकासों, स्थायी या चल से वायु या उत्सर्जन क नमूने लेने की प्रक्रिया, नमूने लेने के लिए उपयोग उपयोग किए गए उपकरण और वायु प्रदूषण की मापने की विधियां ऐसी होंगी जैसी कि स्थिति का सामना करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य बोड द्वारा विनिर्दिष्ट की जांए ।

अध्याय 15

31. धारा 26 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस का प्ररूप.—धारा 26 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस प्ररुप-3 में होगा ।

अध्याय 16

बोर्ड के विश्लेषक की रिपोर्ट

32. धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के विश्लेषक की रिपोर्ट का प्ररुप.—जब किसी वायु या उत्सर्जन का सैम्पल हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्रदान की गई प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा गया हो, तो धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया बोर्ड का विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा और ऐसे विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट प्ररुप 4 में, तीन प्रतियों में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय 17

राज्य वायु प्रयोगशाला

33. धारा 27 की उप-धारा (3) और धारा 28 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य बोर्ड

प्रयोगशाला के कृत्य राज्य वायु प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी स प्राप्त वायु या उत्सर्जन के किसी नमूने का विश्लेषण कराएगी और निष्कर्ष प्ररुप 4 में तीन प्रतियों में अलिखित किया जाएगा।

34. रिपोर्ट के लिये फीस.--इस तरह की प्रत्येक रिपोर्ट की फीस वही होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।

अध्याय 18

सरकारी विश्लेषक के लिए अपेक्षित अहर्ताएं

35. धारा 29 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन सरकारी/राज्य बोर्ड के विश्लेषक की अर्हताएं.--धारा 29 की उप-धारा (1) और (2) के अधीन, सरकारी/राज्य बोर्ड के विश्लेषक के लिए निम्नलिखित:-

पर्यावरण लक्षण प्रबन्ध में तीन वर्ष के अनुभव सहित/बुनियादी विज्ञान/जीवन विज्ञान/भू- विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम0 एम0 सी0।

अध्याय 19

अपीलें

36. धारा 31 की उप-धारा (3) के अधीन अपील का ज्ञापन.—(1) धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन के हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील, व्यथित पक्ष द्वारा, (क) इससे उपाबद्ध प्ररुप 7 में दायर की जाएगी।

(2) अपील करने वाला प्रत्येक व्यथित व्यक्ति अपने नाम से पृथक-पृथक अपील करेगा और एक व्यक्ति से अधिक की ओर से की गई संयुक्त अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी।

(3) (क) प्रत्येक अपील:-
(1) लिखित रूप में होगी।
(2) इसमें अपीलार्थी का नाम, पता और उस आदेश की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई है, विनिर्दिष्ट होगी ;
(3) वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसको अपीलार्थी को वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचित किया गया था ;
(4) इसमें, मामले के तथ्यों का स्पष्ट विवरण और वे आधार जिन पर व्यथित व्यक्ति अपील के समर्थन में निर्भर करता है, अन्तर्विष्ट होंगे ;
(5) संक्षेप में अनुतोष का विवरण जिसके लिए प्रार्थना की गई है ; और
(6) अपीलार्थी या अपीलार्थी द्वारा इस निमित विधिवत् रूप से प्राधिकृत ऐजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी ;
(7) प्रत्येक अपील से निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे :—

(1) उस आदेश की अधि प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है ;
(2) यथास्थिति, धारा 20, 21 या 22 के अधीन किए गए आवदन की एक प्रति ;
(3) अपील से सम्बन्धित कोई दस्तावेज, और
(4) इसके अधीन उप-नियम (3) के अधीन विहित फीस के संदाय का समाधान प्रद-सबूत।
(ग) प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा बोर्ड द्वारा यथा विहित फीस अपील प्राधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जाएगी और उसके लिए प्राप्त रसीद की अधि-प्रमाणित प्रतिलिपि प्रत्येक अपील से उपाबद्ध की

जाएगी। कोई भी अपील जिससे उपयुक्त रसीद की प्रतिलिपि संलग्न न हो, अपील प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी।

(घ) अपील का प्रत्येक ज्ञापन चार प्रतियों में पेश किया जाएगा और अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत एजैण्ट द्वारा अपील प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप में पेश किया जाएगा या ऐसे प्राधिकारी को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाएगा। जब अपील का ज्ञापन, अपीलार्थी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत एजैण्ट द्वारा पेश किया जाए तो इससे, उसे ऐसे एजैन्ट के रूप में नियुक्त किया गया विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य के स्टाम्पपत्र पर लिखित प्राधिकार-पत्र संलग्न किया जाएगा।

(ङ) अपील के ज्ञापन की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी उस पर इसके पेश किए जाने या डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख और यथा स्थिति अपीलार्थी या इसे पेश करने वाली उसके विधिवत रूप से प्राधिकृत एजैन्ट का नाम पृष्ठांकित करेगा।

37. धारा 31 की उप-धारा (3) के अधीन अपील के निपटाए जाने की कार्रवाई में, अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—(1) अपील प्राधिकारी, इसके समक्ष अपील का ज्ञापन फाईल किए जाने के पश्चात यथा शक्य शीघ्र अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और प्ररूप 8 में अपीलार्थी और सदस्य-सचिव उसकी सूचना देगा। सदस्य-सचिव को ऐसी सूचना देते समय इसके संलग्नकों सहित अपील के ज्ञापन की एक प्रति भी सदस्य-सचिव को भेजी जाएगी और उसे अपील से सम्बद्ध मामले से सम्बद्ध सभी सुसंगत रिकार्ड को अपील प्राधिकारी को भेजने के लिए कहा जाएगा।

(2) जहां अभिलेख में उपलब्ध सामग्री, अपील प्राधिकारी को निश्चित विनिश्चय पर पहुचने के लिए योग्य करने में अपर्याप्त हो, वह अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा और अपीलार्थी या सदस्य-सचिव से ऐसी और सामग्री मंगवा सकेगा, जैसी कि वह ठीक समझे। ऐसी सामग्री रिकार्ड का भाग मानी जाएगी परन्तु उस पक्ष से अन्यथा पक्ष के समक्ष नहीं जिससे कि ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जब तक कि उसे उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के विरुद्ध जो उस पक्ष के हित के लिए हानिकारक है, स्वयं परिशीलन का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

(3) जहां सुनवाई के लिए नियत तारीख को या जिस तारीख को अपील की सुनवाई स्थगित की गई हो, अपीलार्थी या उसका विधिवत रूप से प्राधिकृत एजैंट, अपील को सुनवाई के लिए लगाए जाने पर उपस्थित न हो तो अपील खारिज की जाने के लिए दायी होगी।

(4) जहां अपील उप-नियम (3) के अधीन खारिज की जाए, वहां अपीलार्थी, अपील के खारिज किए जाने से 30 दिनों के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि अपील प्राधिकारी का इस बात का समाधान कर दिया जाए कि अपीलार्थी को अपील की सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी या अपील प्राधिकारी की राय में, किसी पर्याप्त कारण द्वारा अपील की सुनवाई पर उपस्थित होने से निवारित किया गया था, तो अपील प्राधिकारी, अपील को ऐसे निबंधनों पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

(5) आदेश का लिखित रूप में होना.—अपील प्राधिकारी द्वारा, अपील पर पारित आदेश लिखित रूप में होगा और विनिश्चय के अवधारण के लिए और विनिश्चय के कारणों के लिए इसके समक्ष प्रश्नों को इस पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा।

(6) अपीलार्थी और बोर्ड को आदेश की प्रतिलिपि का प्रदाय.—अपील पर पारित आदेश की प्रतिलिपि का प्रदाय अपीलार्थी को निःशुल्क किया जाएगा और उसकी एक प्रति सदस्य-सचिव को भी भेजी जाएगी।

अध्याय 20

बोर्ड का बजट और लेखे :

38. धारा 34 और 36 के अधीन बजट के प्राक्कलन का प्ररूप.—वह फार्म और समय जिसके भीतर बजट और लेखे तैयार किए जाएंगे और राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, वही होंगे जैसे कि हिमाचल प्रदेश जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1977 के अधीन विहित किए गए हैं।

अध्याय 21

बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट

39. धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप.—अन्तिम समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट में, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य बोर्ड के क्रियाकलाप का सही और पूर्ण लेखा देते हुए अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और प्रतिवर्ष 15 मई तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

अध्याय 22

धारा 51 के अधीन रखे गए रजिस्टर में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विष्टियां

40. सम्पति रजिस्टर.—हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड, प्ररूप में रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे उद्योग संयत्र की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जिसको धारा 21 के अधीन सम्मति मंजूर की गई हो।

अधिनियम की धारा 21 के अधीन उत्सर्जन के लिए सम्मति प्राप्त करने के लिए आवेदन (नियम 27 देखें):

4. उप-क्षेत्र----------में, जो कि सरकारी राजपत्रित अधिसूचना संख्यांक ----------तारीख ---------- द्वारा, अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित "वायु प्रदूषण निवारण क्षेत्र" है उत्सर्जन के लिए सम्मति प्राप्त करने के लिए आवेदन :—

1. उद्योग विनिर्दिष्ट अनुसूची ----------
2. (क) क्षेत्र की सांकेतिक संख्या ----------तारीख ----------
   (ख) ग्रिड संख्या ----------तारीख ----------

प्रेषक :

————————————
————————————
————————————

सेवा में,

सदस्य-सचिव,
हिमाचल प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड, शिमला।

महोदय,

मैं/हम एतद्द्वारा वायू (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन——————————————————— द्वारा अधिष्ठित उद्योग संयंत्र से उत्सर्जन के लिए सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता हूं / करते हैं।

(2) मैं/हम इसके साथ ही घोषित करता हूं/करते हैं कि उपाबन्ध/परिशिष्ट और संयत्र में दी गई सूचना मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सही है।

(3) मैं/हम एतद्द्वारा निवेदन करता हूं / करते हैं कि उत्सर्जन के स्थल या मात्रा या इसके गुण में परिवर्त्तन के मामले में सम्मति प्राप्त करने के लिए नया आवेदन दिया जायेगा और जब तक ऐसी सम्मति मंजूर नहीं की जाती उसमें कोई भी परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।

(4) मैं/हम एतद्द्वारा, उत्सर्जन के लिए दी गई सम्मति की अवधि की समाप्ति से एक मास पूर्व, यदि इसे उसके पश्चात् जारी रखना हो, सम्मति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की सहमति प्रकट करता हूं / करते हैं।

(5) मैं/हम यह भी वचन देता हूं/देते हैं कि बोर्ड द्वारा मंगवाई जाने वाली किसी अन्य सूचना को एक मास के भीतर भेज दूंगा/देंगे।

(6) मैं/हम————————————रुपये का बैंक ड्राफ्ट विहित सम्मति आवेदन फीस के रूप में संलग्न कर रहा हूं / रहे हैं।

संलगित पत्र:

हस्ताक्षर————————

आवेदक का नाम ————————

आवेदक का पता ————————

प्ररूप 1 का उपाबन्ध

चिमनी

विद्यमान ————————
परिवर्तित संख्या ————————

टिप्पणी.—जानबूझ कर गलत सूचना देने वाला या उससे सम्बद्ध सूचना को छिपाने वाला कोई भी आवेदक अधिनियम की धारा के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा। इस उपाबन्ध को भरते समय आवेदक से सम्बन्ध न रखने वाले

किसी भी मद के "सम्बन्धित नहीं है" लिखा जायेगा।

1. अधिष्ठाता का पते सहित पूरा नाम----------
   परिसर के प्रभारी व्यक्ति का (दूरभाष संख्या) ----------
   नाम और दूरभाष संख्या ----------

2. औद्योगिक संयत्र का पत्ते सहित ----------
   पूरा नाम----------

3. जिस भूमि/परिसर के लिए आवेदन-पत्र दिया है उसके जिले, तालुका, ग्राम सहित राजस्व / शहर सर्वेक्षण संख्या दें :

   ज़िला ----------
   तालुका ----------
   कसबा ----------
   गांव ----------

   शहर सर्वेक्षण संख्या----------
   राजस्व सर्वेक्षण संख्या ----------
   क्षेत्रफल हैक्टेयरों में ----------

4. औद्योगिक संयन्त्र ने अब वास्तविक रूप में काम करना आरम्भ किया है, या काम आरम्भ करना प्रस्तावित है उसका वर्ष और महीना लिखें या उस वर्ष और महीनें का उल्लेख करें जब से स्थानीय निकाय काम कर रहा है।

5. उस सिविल/सैनिक सुरक्षा औद्योगिक सम्पदा आदि का उल्लेख करें जिन के प्रशासनिक अधिकारिता अधिष्ठाता का औद्योगिक संयंत्र स्थित है।

   समाहर्तालय ----------

   निगम ----------
   नगरपालिका ----------
   ग्राम पंचायत ----------
   छावनी/सुरक्षा विभाग ----------

   पतन/न्यास ----------
   राज्य सरकार ----------
   प्रतिषिद्ध क्षेत्र ----------
   केन्द्रीय सरकार ----------
   हवाई पतन निकाय ----------
   या
   अन्य को विनिर्दिष्ट करें ----------

(2) क्षेत्र की ----------भौगोलिक विशेषता दर्शाने वाला नक्शा साथ लगायें।

6. मध्य समुद्र तल से ऊंचाई : ----------

7. भूमि का वर्त्तमान प्रयोग :

   कृषि ----------
   वन ----------
   चरागाह ----------
   आबादी/बंजर भूमि----------

8. स्थल के चारों ओर भौगोलिक स्थिति का उल्लेख :

मैदान ————————
घाटी ————————
पहाड़ी ————————
नदी संग्रहण क्षेत्र ————————
समुद्र का किनारा ————————
छोटी खाड़ी बन्द ————————
भूमि ————————

9. (क) क्या औद्योगिक संयन्त्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है ; लिखें हां/नहीं

(ख) यदि हां, तो प्राधिकरण का नाम लिखें— ————————
और उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें— ————————
जिसके अधीन क्षेत्र को प्रतिषिद्ध घोषित्त किया गया है ————————

10. स्थल के 20 कि0 मी0 के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है :—

मनुष्यों की जनसंख्या और संयन्त्र से उसकी दूरी विनिर्दिष्ट करें ————————
कृषि भूमि— ————————
फसलों को विनिर्दिष्ट करें ————————
चरागाह ————————
मछली पालन ————————

वन/अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान

नाले/खड्डें नदियां/तालाब झीलें/बांध/सागर/संगम/सागर/पहाड़ियां/पर्वत/उद्योग/प्राचीन स्मार्क/पर्यटन क्षेत्र क. उल्लेख करें।

————————
————————
————————

11. क्या अधिष्ठाता का औद्योगिक संयन्त्र रविवार छुट्टी वाले दिन बन्द रहता है ? हां/नहीं

12. औद्योगिक सयंन्त्र का प्रतिवर्ष के कार्य करने का समय लिखें :

पूरे वर्ष
————————
———— से ———— तक
———— से ———— तक
———— से ———— तक
———— से ———— तक

प्रतिवर्ष

13. भौतकीय विवरण

(क) स्थल की जलवायु सम्बन्धी अवस्था का उल्लेख करें ————————
(अर्थात् मरू-भूमि/शुष्क इत्यादि)।

(ख) वार्षिक पूर्वगामिता औसत क्रम----------

(ग) ऋतु सम्बन्धी तापमान क्रम----------

(घ) वायु की वार्षिक औसत गति और दिशा----------

(ङ) सौर्य विकीर्ण में आर्द्रता----------

14. टी/दिन या के जी/दिन में प्रयुक्त कच्चा माल नाम साधन मात्रा

15. टी/दिन या के जी0/दिन में उत्पाद/
उप-उत्पाद/निरर्थक सामग्री ----------

16. उपाबन्ध-1 के अनुसार रासायनिक प्राक्रिया यदि कोई हो का ब्यौरा देते हुए पूर्ण बहाव चार्ट।

17. टी/दिन में इन्धन का खर्च :

इन्धन कोयला तेल या डीजल प्राकृतिक लकड़ी, अन्य विनिर्दिशट करें

इन्धन	गैस
1. प्रतिनदि टनों में खर्च	
2. तापजनक वल्यू	
3. राख की मात्रा ----------प्रतिशत	
4. गन्धक की मात्रा ----------प्रतिशत	
5. अन्य, विनिर्दिष्ट करें ----------	

18. भट्टी/गुम्बदी भट्टी हां ------ नहीं ------

(क) भट्टी/गुम्बदी भट्टी की संख्या
(1) संस्थापित ----------प्रयोग में लाई जाने वाली----------

(ख) लगाये जाने की तारीख ----------

(ग) क्षमता ----------

(घ) जिस कार्य के लिए प्रयोग की जा रही है ----------

(ङ) चिमनियों का ब्यौरा :

(1) ऊंचाई----------
(2) व्यास----------
(3) तापमान----------
(4) बहाव दर ----------

19. वायलर ---------- हां ------ नहीं ------

(क) वायलरों की संख्या :—
(1) संस्थापित----------, (2) जितने प्रयोग में हैं----------

(ख) प्रकार ----------
(ग) क्षमता ----------

(घ) इन्धन भरण की विधि :
(1) तेल/गैस बर्नर————————————————
(2) ग्रेड/चार्जिज मानवीय/मशानी————————————
(3) पिसे हुए कोयला भरण ————————————
(ङ) वायलरों में प्रयुक्त इन्धन की मात्रा ————————————
(च) चिमनियों का ब्यौरा :
ऊंचाई ————————————
व्यास ————————————
तापमान ————————————
बहाव दर————————————

20. वायु प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन को रोकने के उपकरण : विद्यमान जितने लगे हैं उनकी संख्या प्रस्तावित

1. विद्यमान/प्रस्तावित :
(क) वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण————————————————
का स्वरूप ————————————————
(ख) क्षमता————————————————
(ग) योग्यता ————————————————
(घ) वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली का विवरण: प्रस्तावित विद्यमान:
(ङ) स्थिर वैद्युत चक्रवात, पूर्व सूचक, गाड़ने वाला यन्त्र पहली वायु को छान कर निकालने के यन्त्र इत्यादि का विस्तृत विवरण दें ————————————————
(च) उपलब्ध किसी अन्य चेतावनी देने की सुविधा का विवरण व आंकड़े दें————————

21. वातावरणीय उत्सर्जन:

चिमनियों की संख्या ————————गैस की मात्रा ————————
साथ लगी चिमनियां ————————————धुएं की गैस का तापमान।

चिमनी की ऊंचाई ————————————मीटर, धुएं की गैस की वर्त्तमान क्षमता मीटर

(क) धू मनाल गैस उत्सर्जन।

इन्धन का प्रकार	इन्धन की मात्रा/प्रति घण्टा	संख्या एक्स एस और एच सी सी ओं विवरण

(ख) उत्सर्जन प्रक्रियाएं :

एस0ओ0 2सी0 ओ 2	एमजी/एम0 में निकास गैस/हाईड्रोकनबोंन पार्टिक्युलिर का विश्लेषण	अन्य विनिर्दिष्ट करें

(ग) पार्टिक्युलिर विश्लेषण

1. आकार वितरण————————
2. रसायनिक रचनाज————————

22. ठोस अपशिष्ट हां नहीं

1. प्रकार ----------
2. मात्रा ----------
3. निपटान की विधि ----------

23. कोई सुसंगत सूचना जो ऊपर की मदों में न आयी हो ।

24. जल का उपभोग :

(क) प्रतिदिन या प्रतिमास की मात्रा ----------
(ख) स्रोत ----------

25. जनित अपशिष्ट जल हां नहीं

(क) प्रतिदिन या प्रतिमास की मात्रा ----------
(ख) विसर्जित किया गया :

नदी नाला नगरपालिका मल प्रणाल

(ग) अपशिष्ट जल का उपचार :

विद्यमान अविद्यमान प्रस्तावित अप्रस्तावित

(घ) अपशिष्ट जल के गुण (यदि उपलब्ध हों)

	उपचार पूर्व	उपचार के बाद
1. बी0ओ0 डी0	----------	----------
2. सी0 ओ0 डी0	----------	----------
3. सस्पडिड सोलिड	----------	----------
4. भारी धातु (उल्लेख करें) ।	----------	----------
5. नशीले रसायन (उल्लेख करें) ।	----------	----------
6. अन्य उल्लेख करें	----------	----------

26. (क) समवाती उपकरण द्वारा संचालित की गई/गये या वायु की कुल मात्रा लिखें इसके लिये लगाये जाने वाले उपकरणों की संख्या और आकार का भी विनिर्दिष्ट करें ।

(ख) निकास स्थानों की स्थिति और उनका परिमाप

(1) धूमनाल गैस उत्सर्जन :

इन्धन का प्रकार	इन्धन की मात्रा प्रतिघण्टा	प्रतिशत	सेह प्रतिशत	धूमनाल गैस का विश्लेषण ए 0 एक्स0 एस0 ओ-2 एच0सी0सी0ओ0 पार्टिक्यूलिर

2. उत्सर्जन प्रक्रिया

एस0 ओ0 2 सी0 ओ-2	समवात गैस का विश्लेषण मि0 ग्र0 में/मि03	सी0 ओ0 नम्बर	हाइड्रोकार्बन पार्टिक्यूलिर	अन्य विनिर्दिष्ट करें

3. विश्लेषण विवरण

(क) वितरण का परिमाप

(ख) रसायनिक संरचना

27. अन्य सुसंगत सूचना, यदि कोई हो——————————

प्ररूप-II

हिमाचल प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण राज्य बोर्ड

निरीक्षण की सूचना

[नियम 28(2) देखें]

अध्यक्ष
श्री

सदस्य-सचिव——————
श्री——————
संख्या——————
तारीख——————

सेवा में

——————

——————

आपको नोटिस दिया जाता है कि धारा 21 के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी नामत :—

1. श्री—————— ——————

2. श्री—————— ——————

3. श्री—————— ——————

और बोर्ड द्वारा उनकी सहायता के लिए प्राधिकृत व्यक्ति आप के औद्योगिक संयंत्र की किसी प्रणाली को, उसके किसी दूसरे भागों या उसके साथ सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध/नियन्त्रण को तारीख—————— को ——————के बीच निरीक्षण करेंगे । उस समय उनके द्वारा अपेक्षित सभी सुविधाएं उन्हें स्थल पर उपलब्ध करवाई जाएं ।

आपको नोटिस दिया जाता है कि बोर्ड के हत्यों के अधीन की गई उपरोक्त मांग से इन्कारी अधिनियम की धारा 37(1) के अधीन दण्डनीय बाधा होगी ।

बोर्ड के आदेश द्वारा,

सदस्य-सचिव----------

प्रतिलिपि:—

1.
2.
3.

प्ररूप-III

हिमाचल प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण राज्य बोर्ड नमूना विश्लेषण के आशय का नोटिस

(नियम 31 देखें)

सेवा में

आपको नोटिस दिया जाता है कि आप के परिसर से वायु उत्सर्जन के नमूने का विश्लेषण किया जाना आशयित है, जिसे आज तारीख----------19----------को लिया जा रहा है ।

नमूना लेने जवाले व्यक्ति का नाम तथा पद नाम

---

(1) यहां भट्टी, चिमनी या दूसरे उत्सर्जन निकास विनिर्दिष्ट करें ।

सेवा में,

प्ररूप-IV

राज्य बोर्ड के विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट
(नियम 32 देखें)

रिपोर्ट संख्या----------

तारीख----------

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं----------वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा 3 के अधीन विधिवत रूप से नियुक्त राज्य बोर्ड का विश्लषक हूं और मैंने आज तारीख 19----------को----------से विश्लेषण के लिए ----------का नमूना प्राप्त किया है ।

विश्लेषण के लिए जिसकी रिपोर्ट नीचे दी गई है ठीक स्थिति में था इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपरोक्त नमूने का तारीख----------को विश्लेषण किया है और विश्लेषण का

परिणाम निम्नलिखित रूप में घोषित करता हूं :—

(5) प्राप्ति पर मोहरों, कसाव और अन्तर्विष्ट की स्थिति निम्नलिखित थी ।

————————————

————————————

————————————

आज 19———— के ———— के ———— दिन हस्ताक्षरित किया गया ।

पता: ————————

————————

हस्ताक्षर

राज्य बोर्ड विश्लेषक ।

सेवा में,

————————

————————

1. यहां राज्य बोर्ड के विश्लेषक का पूरा नाम लिखें ।
2. यहां नमूने की प्राप्ति की तारीख लिखें ।
3. यहां बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या अधिकारी के नाम लिखें, जिनसे नमूना प्राप्त हुआ था ।
4. यहां विश्लेषण की तारीख लिखें ।
5. यहां विश्लेषण का पूरा व्यौरा और विश्लेषण की विधि लिखें, यदि विवरण लिखने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं हो तो विवरण एक पृथक कागज पर दिया जाये ।

प्ररूप-V

सरकारी विश्लेषक द्वारा रियोर्ट

(नियम 33 देखें)

रिपोर्ट संख्या:————————

तारीख:————————

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैं ———————— वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन विधिवत् रूप से नियुक्त किया गया सरकारी विश्लेषक हूं और मैंने ———————— 19 . के ———————— दिन ———————— से ———— . ———— का नमूना विश्लेषण के लिए प्राप्त किया था ।

नमूना विश्लेषण के लिए जिसकी रिपोर्ट नीचे दी गई है, ठीक स्थिति में था इसके अतिरिक्त, मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपरोक्त नमून की तारीख ———————— को विश्लषण किया है और विश्लषण का परिणाम निम्नलिखित रूप में घोषित करता हूं:—

————————————

————————————

आज 19————————के————————के————————दिन हस्ताक्षरित किया गया।

पता————————————

————————————

हस्ताक्षर

सरकारी विश्लेषक।

सेवा में

————————————

————————————

1. यहां सरकारी विश्लेषक का पूरा नाम लिखें
2. यहां नमूना प्राप्त करने की तारीख लिखें
3. यहां बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या अधिकारियों के नाम लिखें जिनसे नमूना प्राप्त किया गया था
4. यहां विश्लेषण की तारीख लिखें।
5. यहां विश्लषण का ब्यौरा और विश्लेषण की विधि लिखें, यदि विवरण लिखने के लिये स्थान पर्याप्त न हो तो विवरण एक पृथक कागज पर दिया जाए

प्ररूप VI
(नियम 40 देखें)

अधिनियम की धारा 21 के अधीन सम्मति जारी किए जाने के लिये नियम 40 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप निम्नलिखित होगा :

1. सामान्य: (क) सम्मति को जारी की गई है————————
   (ख) डाक, पता————————————
2. संयंत्र की स्थिति/सुविधायें,
   (निकटतम अक्षांश और रेखांश 15 सैकिण्डों तक)

   (क) निकटतम नगर————————————जिला————————
   (ख) रखांश————————————अक्षांश————————
   (ग) क्या यह वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र में स्थित है ? ————————हां/नहीं————
   यदि हां, वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र की पहचान————————————

3. प्रक्रिया संचालन का प्रकार

   (क) संचालन या प्रक्रिया का नाम
   (ख) अनुसूची पहचान नम्बर

4. सम्मितियों का वर्गीकरण :

   (क) प्रस्तावित हां नहीं

(ख) अब जो चलित है — —
(ग) विद्यमान उत्सर्जन स्रोत का रूपान्तरण — —
(घ) स्थिति परिवर्त्तन — —
(ङ) स्वामित्व परिवर्त्तन — —
(च) वर्त्तमान सम्मति आदेश नम्बर, यदि कोई हो ----------

5. लागू करने की तारीखें----------

(क) प्रस्तावित उद्योग कि स्थिति में संचालन आरम्भ होने की संभावना----------

(दिन) (मास) (वर्ष)

(ख) संस्थापित किए जाने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन नियंत्रण उकरण

(दिन) (मास) (वर्ष)

तक प्राप्त किए गये मानदण्ड ।

6. उत्सर्जन मानदण्ड :

उत्सर्जन स्रोत संख्या (भू-खण्ड योजना से)	वायु प्रदूषण उत्सर्जित	उत्सर्जन दर कि0 ग्रा0 घण्टा या मानदण्ड

7. सम्मति की शर्तें, यदि कोई हों :—

प्ररूप—VII

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण)

अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 14) की धारा 31 की उप-धारा (3) के अधीन अपील का प्ररूप ।

[नियम 36 के उप-नियम (1) (क) देखें]

यहां प्राधिकरण का नाम और पता लिखें :—
वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण)

अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 31 के अधीन गठित अपील प्राधिकारी श्री----------

(अपीलार्थी) का अपील के लिए

ज्ञापन :

बनाम : ----------

जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण के लिए राज्य बोर्ड (प्रतिवादी) तारीख---------- को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अधीन जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध श्री ---------- निवासी ---------- जिला ----------की अपील जो कि निम्न है :—

(1) वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21/22 के अधीन अपीलार्थी को----------कम्पनी/निगम/नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति आदि के बारे में सम्मति आदेश में दर्शायी गई शर्तों के अध्याधीन सम्मति प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है :—

(क) संयंत्र/कम्पनी/निगम/नगर पालिका/
अधिसूचित क्षेत्र समिति का नाम ----------
(ख) स्थान ----------
(ग) वार्ड नम्बर ----------
(घ) गली का नाम----------तथा
(ङ) जिला----------

प्रश्नगत सम्मति आदेश की एक प्रतिलिपि यहां संलग्न है :—

(2) मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं :—
(यहां मामले के तथ्यों का संक्षेप में वर्णन करें)

(3) ऐसे आधार जिन पर अपीलार्थी इस अपील के प्रयोजन के लिए निर्भर करता है, नीचे दिये गये हैं :—
(यहां वे आधार लिखें जिन पर अपील दायर की गई है)

1.

2.

3.

4. ऊपर जो लिखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी सविनय प्रार्थना करता है कि :—

(क) आरोपित की गई ----------अनुचित शर्तों को निष्प्रभावी माना जाए या उसे (उन्हें) ऐसी अन्य शर्तों द्वारा प्रति-स्थापित किया जाए जोकि युक्तियुक्त हों।

या

(ख) अनुचित शर्त/शर्तों को निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाए।
(यहां वह रीति लिखें जिस के अनुसार आपत्तिजनक शर्तों को पुनरीक्षित किया जाना है)

---------- रु0 की राशि अपील फीस के रूप में रसीद संख्या---------- तारीख ---------- के द्वारा सन्दत्त की गई है जिसकी

प्रमाणित प्रति सन्दाय के प्रमाण के रूप में संलग्न है ।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर———————————
स्पष्ट अक्षरों में नाम———————————
व्यवसाय ———————————
पता ———————————
———————————

तारीख.....

सत्यापन

मैं,———————————उपरोक्त अपील के ज्ञापन का अपीलार्थी विधिवत रूप से प्राधिकृत एजैण्ट एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इसमें जो कुछ कहा गया है वह मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और इसके अधीन कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर———————————
स्पष्ट अक्षरों में नाम———————————
व्यवसाय ———————————
पता ———————————
———————————

तारीख.....

(जो लागू न हो, उसें काट दें)

प्ररूप VIII

नोटिस का फार्म [नियम 37 का उप-नियम (1) देखें] यहां प्राधिकारी का नाम और पदनाम वर्णित करें

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण)

अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 31(1) के अधीन गठित अपील प्राधिकारी

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण)

अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 31 के अधीन

श्री———————————द्वारा दायर की गई अपील
संख्या ———— 19 ———— के मामले में
(यहां अपीलार्थी का नाम, पता उल्लिखित करें)

बनाम

जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण राज्य बोर्ड शिमला ..प्रतिवादी

जब कि श्री ——————————————————(यहां अपीलार्थी का नाम) अधिनियम की धारा 20/21/22 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा ——————————— तारीख को पारित आदेश के विरुद्ध अपील का ज्ञापन फाईल किया है। (जो लागू न हो उसे हटा दें)।

और जबकि अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (4) के अधीन इन प्राधिकारियों द्वारा पक्षों की सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित है। अतः अब इस लिये कृपया ध्यान दें कि इस प्राधिकारी ने उपरोक्त अपील की सुनवाई के लिये ——————————————तारीख नियत की है। यह सुनवाई उस दिन शिमला में बोर्ड के कार्यालय में ——————————————बजे प्रातः— ——————————————— अपराह्न को होगी। अतः आप को निर्धारित समय, तारीख और स्थान पर स्वयं या अपने विधिवत रूप से प्राधिकृत एजैन्ट के माध्यम से उपस्थित होने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। कृपया ध्यान दें कि सुनवाई के समय, तारीख को और स्थान पर यदि आप स्वयं या अपने विधिवत् रूप से प्राधिकृत एजैण्ट के माध्यम से प्राधिकारी के समाधान के लिए प्रर्याप्ति कारण दर्शाए बिना उपस्थित होनें में असफल रहेंगे तो आपकी अपील खारिज किए जाने या एक पक्षीय विनिश्चय के लिए दायी होगी।

तालिका-II
(नियम 39 देखें)

वित्त वर्ष अप्रैल, 19 से मार्च 19 के तक के वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट

1. परिचायक
2. उन परिवर्तनों सहित राज्य बोर्ड का गठन
3. राज्य बोर्ड द्वारा समितियों का गठन और उन द्वारा गठित समितियों की बैठकें
4. राज्य बोर्ड की बैठकें
5. अधिनियम की धारा 17 के अधीन पारित कृत्यों सहित राज्य बोर्ड के क्रियाकलाप
6. अभियगग जो चलाए गए और जितने अपराधी ठहराये गये
7. राज्य बोर्ड का वित्त और लेखे
8. विशेषज्ञों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा राज्य बोर्ड के दौरे
9. राज्य बोर्ड के द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।